क्र. 3.—मध्यप्रदेश भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 279 एवं नियम 277 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद्द्वारा प्रसुविधाओं से संबंधित प्रक्रियात्मक तथा अवशिष्ट मामलों को अधिकथित करने वाली योजना बनाता है तथा मध्यप्रदेश शासन के अनुमोदन पश्चात् अधिसूचित करता है:—

मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना—2004

(क) संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होना.—(1) यह योजना मध्यप्रदेश भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों के लिये मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना 2003 कहलाएगी.

(2) यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील होगी.

(3) यह योजना भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम की धारा 22 (1) (क) सहपठित मध्यप्रदेश नियम, 2002 के नियम 279 के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा अधिसूचना की तिथि से लागू होगी.

(4) यह योजना उन भवनों और अन्य निर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी, जो भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं तथा अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत हिताधिकारी परिचय-पत्र धारी हैं.

(ख) परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(1) "अधिनियम"—अधिनियम का आशय भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) अभिप्रेत है.

(2) "बोर्ड" बोर्ड से आशय धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन गठित भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है.

(3) "सचिव" सचिव से आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त बोर्ड के सचिव से अभिप्रेत है.

(4) "दुर्घटना" दुर्घटना से तात्पर्य कार्य के दौरान, कार्य स्थल से घर आते-जाते समय अथवा किसी भी रूप में हिताधिकारी निर्माण श्रमिक दुर्घटनाग्रस्त होने से है.

(5) "आश्रित" आश्रित का आशय ऐसे पंजीकृत हिताधिकारी निर्माण श्रमिक का निम्नानुसार कोई भी रिश्तेदार, चाहे वह मृतक ही क्यों न हो, आश्रित माना जावेगा—

1. पत्नी अथवा पति (यथास्थिति अनुसार)
2. बच्चे
3. पूर्व मृतक बेटे की विधवा और बच्चें
4. माता-पिता

(6) "परिवार" परिवार का आशय निर्माण श्रमिक के पति/पत्नी (यथास्थिति अनुसार) बच्चे जो विवाहित अथवा अविवाहित हों, आश्रित माता-पिता और मृतक बेटे की विधवा एवं बच्चे निर्माण श्रमिक के परिवार के रूप में सम्मिलित माने जाएंगे.

(7) परिभाषित न किये गये शब्दों का निर्वचन—उन शब्दों या पदों के संबंध में जो इन योजनाओं में परिभाषित नहीं किये गये हैं किन्तु अधिनियम/नियम में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम/नियम में परिभाषित हैं.

(ग) योजना का विवरण—(1) प्रस्तावना.—भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 की धारा 22 (1) (ज) सपठित मध्यप्रदेश नियम, 2002 के नियम 277 (1) के अन्तर्गत निर्माण श्रमिक की मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता तथा अनुग्रह राशि के भुगतान के लिये यह योजना होगी. इस योजना का लाभ सभी हिताधिकारी परिचय-पत्र धारी निर्माण श्रमिकों को मिलेगा.

(2) पात्रता.—(1) 18 से 60 वर्ष की उम्र के निर्माण श्रमिक इस योजना के लिये पात्र होंगे.

(2) बोर्ड द्वारा हिताधिकारी निर्माण श्रमिक जिनका धारा 12 के अन्तर्गत पंजीयन होगा उनके लिये यह योजना प्रवर्तित होगी.

(3) उत्तराधिकारी.—परिचय पत्रधारी निर्माण श्रमिक का पति/पत्नी (यथास्थिति अनुसार) तथा इनके नहीं होने पर पुत्र अथवा अविवाहित एवं आश्रित पुत्रियां, विधवा/परित्यक्ता या ऐसे निर्माण श्रमिक, जिसके पति/पत्नी या पुत्र/पुत्री न हो तो उसके पिता/माता को उत्तराधिकारी माना जावेगा. इन सबके नहीं होने पर ऐसा व्यक्ति जो उसके आश्रित हो, उत्तराधिकारी होगा.

(4) अंत्येष्टि सहायता.—हिताधिकारी निर्माण श्रमिक की मृत्यु के तुरन्त अथवा एक सप्ताह के अंदर रु. 2,000 अंत्येष्टि सहायता राशि दी जायेगी.

(5) अनुग्रह राशि.—हिताधिकारी निर्माण श्रमिक के मृत्यु के कारण उसके उत्तराधिकारियों को सहायता प्रदान की जावेगी, यह राशि उत्तराधिकारी को एक से छः माह की अवधि में यथासंभव प्रदान की जावेगी. अनुग्रह राशि निम्नानुसार दी जायेगी :—

1.	45 वर्ष से कम आयु में मृत्यु होने पर	रु. 20,000
2.	45 वर्ष से 60 वर्ष की आयु में मृत्यु होने पर	रु. 15,000

(घ) आवेदन/भुगतान की प्रक्रिया.—1. हिताधिकारी निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी द्वारा संबंधित श्रम कार्यालय के माध्यम से अथवा सीधे बोर्ड को आवेदन (संलग्न प्रारूप 1 में) भेजा जावेगा. आवेदन का परीक्षण कर एक सप्ताह की अवधि में चैक के माध्यम से सीधे आवेदक को अथवा संबंधित श्रम कार्यालय के माध्यम से उसे अंत्येष्टि सहायता का भुगतान किया जावेगा.

2. मृतक श्रमिक के उत्तराधिकारी से प्राप्त आवेदन का परीक्षण, मृतक की आयु का सत्यापन कर एक से छः माह की अवधि में अनुग्रह राशि का भुगतान मृतक के उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को किया जायेगा.

(ङ) अंत्येष्टि सहायता तथा अनुग्रह राशि के लिये अपात्र.—अंत्येष्टि सहायता तथा अनुग्रह राशि का भुगतान जानबूझकर की गयी आत्महत्या या मादक द्रव्यों या पदार्थों के सेवन से हुई मृत्यु अथवा अपराध करने के उद्देश्य से कानून का उल्लंघन करके एक-दूसरे से हुई मारपीट से हुई मृत्यु की स्थिति में उक्त राशि प्रदान नहीं की जावेगी.

(च) सक्षम अधिकारी.—अंत्येष्टि सहायता तथा अनुग्रह राशि की स्वीकृति के लिये सक्षम अधिकारी सचिव होंगे. प्राप्त आवेदन का सत्यापन मैदानी श्रम अधिकारी से कराया जाकर, भुगतान की स्वीकृति दी जावेगी, किन्तु जिन प्रकरणों में विश्वसनीय परिस्थिति है वहां सचिव द्वारा अभिलेखीय स्थिति के आधार पर भुगतान की स्वीकृति दी जा सकेगी.

(छ) विसंगति का निराकरण.—योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा.

आर. जी. पाण्डेय, सचिव.